पैकर

योग्यता पैक

रैफ. आई.डी. : ए.एम.एच./क्यू1407

क्षेत्र

अपैल्स, मेडअप्स और होम फर्निशंग

कक्षा

11वीं एवं 12वीं

विद्यया ऽ मृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

पं.सुं.श. केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल

(राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की एक घटक इकाई, के तहत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार), श्यालता हिल्स, भोपाल – 462002 (म.प्र.)

www.psscive.ac.in

व्यावसायिक शिक्षा

भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी), अनौपचारिक और गैर–औपचारिक क्षेत्रों के माध्यम से आयोजित किये जाते हैं। वीईटी विभिन्न टार्गेट ग्रुप्स और शिक्षार्थियों की कौशल आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रदान किया जाता है। विभिन्न मंत्रालयों में से केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमओएसडीई) तथा केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय (एमओई) कौशल विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से तैयार किए गए वीईटी प्रावधान स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेजों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, जन शिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान के माध्यम से प्रदान की जाने वाली व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। शिक्षार्थियों की विभिन्न प्रोफेशनल आकांक्षाओं और शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के व्यवस्थित अधिग्रहण के लिए स्कूल जरूरी वातावरण प्रदान करते हैं। स्कूली शिक्षा आधारित व्यावसायिक ज्ञान विभिन्न नौकरियों की एन्ट्री–लेवल (प्रवेशात्मक स्तर) जरूरतों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है।

व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न सैद्धांतिक विषयों एवं पाठ्यक्रमों का समावेश किया गया है। इनका उद्देश्य छात्रों के उन मूलभूत ज्ञान, कौशल एवं स्वभावगत विशेषताओं का विकास करना हैं जो उन्हें स्किल्ड पशेवर या व्यवसायी बनने में सहायता करेंगे। व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा (स्कूली शिक्षा की एक इन्टीग्रेटेड शिक्षा) के अंतर्गत लागू किया गया है।

श्रम बाजार की बढ़ती मांगों को पूरा करने और कुशल जनशक्ति के विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) के लिए मान्यता प्राप्त है। वीईटी विशिष्ट जॉब रोल्स पर केंद्रित है और इस तरह का व्यावहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है, जो व्यक्तियों को विशिष्ट व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए सशक्त करता है। यह न केवल व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद करता है।

व्यावसायिक विषयों को 2012 में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की संशोधित योजना के तहत पेश किया गया था। इसमें ग्रेड 9 से 12 (4 वर्षीय पैटर्न) में एक जॉबलरोल को पढ़ाया गया था। इस योजना को 2018 में समग्र शिखा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के साथ समग्र शिक्षा में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (एनईपी–2020) में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। एनईपी–2020 में उचित सामाजिक स्थिति प्रदान करने और सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा की पुनर्कल्पना (री–इमेजिंग) की गई है।

अपैरल, मेड–अप्स और होम फर्निशिंग (एएमएचएफ) सेक्टर के बारे

अपैरल, मेड–अप्स और होम फर्निशिंग सेक्टर हमारे देश में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। यह विभिन्न तैयार उत्पादों का कच्चे माल से उत्पादन करते हैं। इस क्षेत्र में डिजाइनिंग, पैटर्न, कटिंग, सिलाई, परिधान, मेड–अप और होम फर्निशिंग आइटम की फिनिशिंग और सजावट से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं।

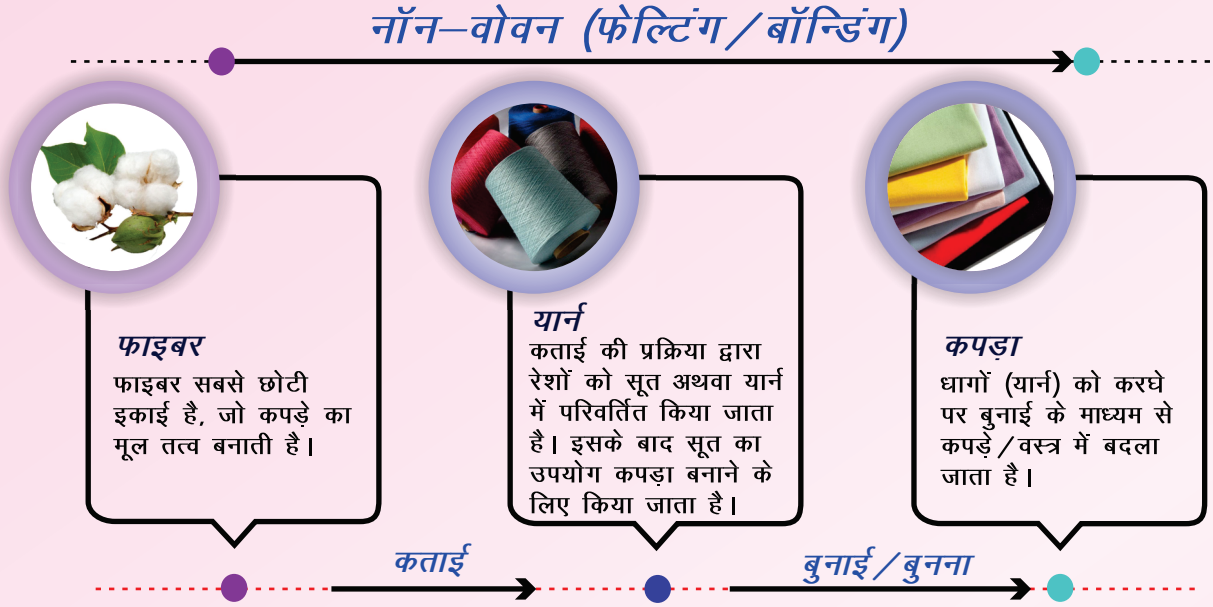

वस्त्र/परिधान उत्पाद विकास योजना के चरणों से होकर गुजरता है और प्रत्येक चरण में गुणवत्ता नियंत्रण के साथ निष्पादन होता है।

- नियोजन में डिजाइनिंग, लक्ष्य ग्राहक की पहचान, लागत अनुमान आदि जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
- निष्पादन में काटना, सिलाई, फिनिशिंग, पैकिंग आदि शामिल हैं।
- गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण।
- उत्पादों में परिधान, मेड–अप, होम फर्निशिंग और सामान शामिल हैं।

अर्थव्यवस्था में एएमएचएफ क्षेत्र का योगदान

टॅक्सटाइल व अपैरल उद्योग भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार का माध्यम है। भारत न केवल कपास, जूट व सिल्क के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है बल्कि इस उद्योग में बड़ी संख्या में रोजगार देने की भी क्षमता है। इन उद्योगों में लगने वाले मैन पावर की ट्रेनिंग एएमएचएफ सेक्टर के विभिन्न जॉब रोल्स के माध्यम से की जाती है।

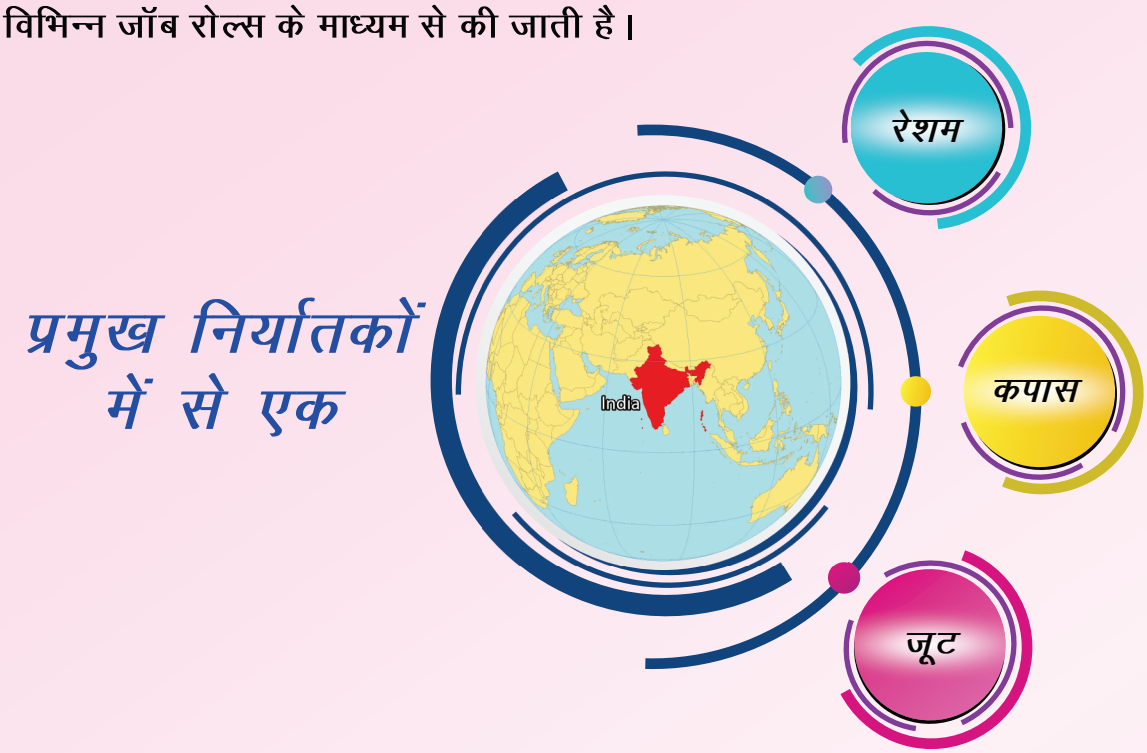

उपर्युक्त चित्र भारत के विकास में एएमएचएफ क्षेत्र के योगदान को दर्शाता है। एएमएचएफ ने न केवल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान दिया है, बल्कि निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया है। यह क्षेत्र देश में रोजगार सृजन में युवाओं के विकास और जीवन स्तर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण रहा है।

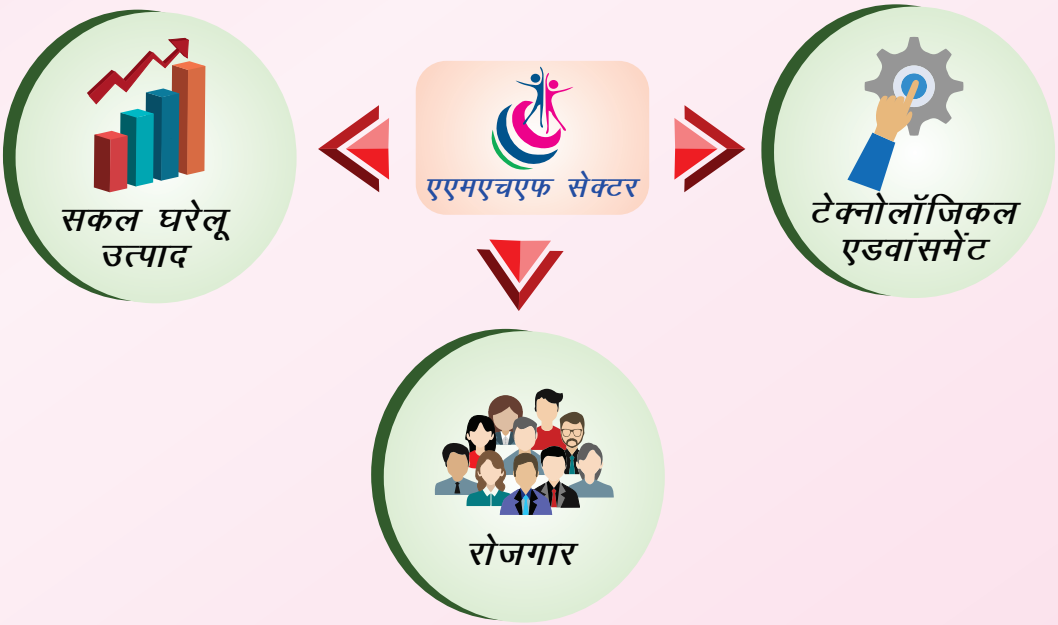

एएमएचएफ क्षेत्र का योगदान

परिधान उद्योग के घटक

एएमएचएफ क्षेत्र को दो प्रमुख खंडों में विभाजित किया जा सकता है:

- फाइबर टू फैब्रिक (कपड़ा उद्योग)
- फैब्रिक टू प्रोडक्ट (परिधान उद्योग)

एएमएचएफ क्षेत्र में कपड़ा उद्योग में फाइबर को धागे या कपड़े (नॉन वोवन) और धागे को कपड़े (वॉवन/निटेड कपड़ा) में बदलना शामिल है। कपड़े को रंगाई, छपाई, कढ़ाई, अलंकरण और परिष्करण तकनीकी का उपयोग करके सुंदर बनाया जाता है।

उपर्युक्त तरीके से कपड़ा बनाने के बाद कपड़ा उद्योग में इस कपड़े से तैयार परिधान, होम फर्निशिंग वस्तुऐं और एसेसरीस आदि बनाए जाते हैं।

एएमएचएफ से जुड़े अन्य उद्योग हैं:

परिधान उद्योग बहुत ही विस्तृत है तथा इसमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाता है। यह एक डिजाइन विचार से शुरू होता है और परिधान तैयार होकर ग्राहक तक पहुंचने पर खत्म होता है। ये प्रक्रियाएं एक परिधान उद्योग के विभिन्न विभागों द्वारा पूरी की जाती हैं। प्रत्येक विभाग एक विशिष्ट कार्य के लिए जिम्मेदार होता है और सभी विभागों का उद्देश्य उचित लागत और समय के भीतर अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराना होता है। विभिन्न विभाग इस प्रकार हैं–

- मर्चेंडाइजिंग विभाग
- स्टोर विभाग
- कटिंग विभाग
- सिलाई विभाग
- धुलाई विभाग
- परिष्करण और पैकिंग विभाग
- गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण।
- रखरखाव विभाग
- वित्त और लेखा विभाग
- प्रशासन विभाग

जॉब रोल के बारे में

अपैरल मेड–अप्स होम फर्निशिंग क्षेत्र में विभिन्न जॉब रोल हैं जिन्हें कोई भी अपने पेशे के रूप में चुन सकता है और अपने कौशल को बढ़ा सकता है। यह क्षेत्र उभरते उम्मीदवारों को नौकरी के कई अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। इसमें परिधान उद्योग से संबंधित सभी नौकरियां जैसे पैटर्न मास्टर, स्व–नियोजित दर्जी, हाथ कढ़ाई आदि और स्व–स्वामित्व वाले छोटे व्यवसाय जैसे कढ़ाई इकाई, बुटीक, डिजाइन स्टूडियो आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) द्वारा एपेरल, मेड–अप और होम फर्निशिंग सेक्टर के तहत जॉब रोल निम्नानुसार हैं:

01	फेब्रिक चेकर
02	इन-लाइन चेकर
03	लेयरमैन
04	माप परीक्षक
05	प्रेसमैन
06	सिलाई मशीन ऑपरेटर
07	कढ़ाई मशीन ऑपरेटर (जिगजैग मशीन)
08	निर्यात सहायक
09	फ्रेमर- कम्प्यूटरीकृत कढ़ाई मशीन
10	गारमेंट कटर (सीएएम)
11	हाथ की कढ़ाई
12	गुणवत्ता मूल्यांकनकर्ता
13	नमूना करण दर्जी
14	एडवांस पैटर्न मेकर (सीएडी/सीएएम)
15	फेशन डिजाइनर
16	क्यूसी कार्यकारी- सिलाई लाइन
17	मर्चेंडाइजर
18	मशीन रखरखाव मैकेनिक (सिलाई मशीन)
19	निर्यात कार्यकारी
20	निर्यात प्रबंधक
21	सैंपल कोऑर्डिनेटर
22	औद्योगिक अभियंता (आईई) कार्यकारी
23	उत्पादन पर्यवेक्षक सिलाई
24	फैक्टरी अनुपालन लेखा परीक्षक
25	विशेष सिलाई मशीन ऑपरेटर
26	सहायक डिजाइनर- होम फर्निशिंग
27	सहायक डिजाइनर- मेडअप्स
28	सहायक फैशन डिजाइनर
29	बुटीक प्रबंधक
30	कटिंग सुपरवाइजर
31	फेब्रिक कटर-(परिधान निर्मित अप और होम फर्निशिंग)
32	फिनिशर
33	हाथ की कढ़ाई (अड्डावाला)
34	लाइन पर्यवेक्षक सिलाई
35	मर्चेंडाइजर-मेड-अप और होम फर्निशिंग
36	ऑनलाइन नमूना डिजाइनर
37	पैकर
38	पैटर्न मास्टर
39	प्रसंस्करण पर्यवेक्षक (रंगाई और मुद्रण)
40	रिकॉर्ड कीपर
41	स्व-नियोजित दर्जी
42	सिलाई मशीन ऑपरेटर (बुना हुआ)
43	सोर्सिंग मैनेजर
44	स्टोर कीपर
45	वाशिंग मशीन ऑपरेटर

पैकर वितरण या शिपिंग के लिए वस्तुओं को तैयार करने एवं फिनिशिंग और पैक करने के कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। वे शिपिंग डिब्बों (कार्टन) में सामान लोड करने के लिए भी जिम्मेदार है, साथ ही सुनिश्चित करते है कि सभी आइटम गिने और रिकॉर्ड किए गए हैं। वह खरीदार द्वारा पूर्व–निर्धारित किसी विशेष निर्देश के अनुसार गुणवत्ता और मात्रा के मापदंडों को बनाए रखते हुए सही लेबल, टैगिंग, उपयुक्त पैकिंग, पैकिंग सामग्री, बाहरी पैकेज, डिब्बों (कार्टन) का आकार और डिब्बों (कार्टन) की सील आदि की जॉच करता है।

पैकर की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

1. खरीदार/ग्राहक विनिर्देशों के अनुसार पैकिंग प्रक्रियाएँ जैसे टैगिंग, फोल्डिंग, इस्त्री, लेबलिंग, कार्टन में पैकिंग कार्टन सीलिंग और किसी विशेष पैकेजिंग आवश्यकताओं की योजना बनाता और व्यवस्थित करता है।
2. पैकेज का वजन और लेबल करना।
3. पैकेजों का निरीक्षण करना ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि वह क्षतिग्रस्त नहीं है।
4. उचित शिपिंग जानकारी के साथ पैकिंग फॉर्म भरना।
5. एक कन्वेयर या पैलेट पर पैकेज लोड करना।
6. डिलीवरी नोट, चालान आदि सहित पैकेजों का रिकॉर्ड रखना।

कक्षा–11वीं

इकाई–1

पैकिंग की विभिन्न प्रक्रियाओं की पहचान और व्यवस्था

यह इकाई परिधान उद्योग की संरचना, परिधान निर्माण प्रक्रिया और परिधान बाजार में शामिल विभिन्न विभागों की व्याख्या करती हैं। इसमें एक पैकर की कार्य भूमिका के लिए आवश्यक जिम्मेदारियों, व्यक्तिगत विशेषताओं, कौशल और गुणों पर भी जानकारी दी गई है साथ ही पैकिंग प्रक्रिया के विभिन्न चरणों और पैकिंग के बुनियादी कार्यों के भी बारे में बताया गया है।

इकाई–2

पैकिंग से जुड़े उपकरण, शब्दावली और सामग्री

परिधान को पैकिंग और ग्राहक वितरण से पहले उचित परिष्करण (फिनिशिंग) की आवश्यकता होती है। इस इकाई में पैकिंग के लिए आवश्यक विभिन्न छोटे औजारों और उपकरणों के बारे में बताया गया है, जैसे माप टेप, इस्त्री और पैकिंग टेबल, पिन, कैंची, टैग गन, थ्रेड सकर, इस्त्री आदि। विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामग्री तथा प्रक्रियाओं पर विस्तार से इस इकाई में चर्चा की गई हैं।

इकाई–3

पैकिंग कार्य निष्पादित करना

इस इकाई में पैकिंग और विभिन्न डिजाइनों की भूमिका और महत्व का वर्णन किया गया है तथा उपयुक्त पैकिंग के तत्वों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें छात्र विभिन्न परिधान शैलियों, इसके भाग और उपकरणों के लिए पैकिंग के विवरण और वर्गीकरण के बारे में भी जानेंगे। यह इकाई जॉब कार्ड के विश्लेषण और व्याख्या पर चर्चा करती हैं।

इकाई–4

स्वच्छ और जोखिम मुक्त कार्यक्षेत्र बनाए रखना

सभी उद्योगों में विभिन्न प्रकार के औजार, उपकरण और मशीनरी होती हैं। मशीनों के संचालन के दौरान हमेशा खतरा बना रहता है इसलिए उपकरणों और मशीनों को संभालते समय श्रमिकों और कर्मचारियों को सभी एहतियाती उपाय और सुरक्षा निर्देशों का पालन करना चाहिए। एक पेशेवर पैकर को साफ–स्वच्छ कार्य वातावरण बनाए रखने के महत्व को भी समझना जरूरी है। काम करने की स्थिति में सुधार से उत्पादकता और परिचालन दक्षता में वृद्धि हो सकती है।

इकाई–5

कार्यस्थल पर लागू स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी व्यवहार/आचरण

कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का उनकी उत्पादकता और दक्षता पर सीधा असर पड़ता है और इसलिए कंपनी का उत्पादन और लाभ होता है इसलिए, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना और उन्हें सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है यहां छात्र विभिन्न संभावित स्वास्थ्य और सुरक्षा खतरों, जोखिमों को समझने और विभिन्न स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी आचरण के बारे में जानेंगें।

इकाई–6 कानूनी, विनियामक और नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन

सभी उद्योगों, संगठनों, कार्यालयों और निर्माण यूनिटों को संबंधित सरकारों और देशों द्वारा तय किए गए विनियमों और अनुपालनों का पालन करना आवश्यक है। परिधान और कपड़ा उद्योग से अलग नहीं है। इन्हें संचालित करने क लिए कुछ मानकों को बनाए रखने की भी जरूरत हैं। अनुपालन संगठन के भीतर ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देता हैं और मानकों को बनाए रखने में मदद करता है।

कक्षा–12वीं

इकाई 1

पैकिंग प्रक्रियाओं की योजना बनाना और व्यवस्थित करना

यह यूनिट में पैकिंग कार्य, पैकिंग सूची की सामग्री, विभिन्न प्रकार के पैकिंग और शिपिंग उपकरण जैसे फोल्डिंग उपकरण, कंटेनर, कंटेनर लोडर, कंटेनर कन्वेयर, पैकिंग चेकलिस्ट अलग–अलग रूप के कार्य को करने के लिए आवश्यक सामग्री और सहायक उपकरण की पहचान करने और व्यवस्थित करने के बारे में चर्चा करती हैं। इस इकाई में पैकिंग के प्रकार जैसे प्लाय पैकिंग, कार्टन पैकिंग, हैंगर पैकिंग आदि की चर्चा की गई हैं। यह इकाई पैकिंग और पैकिंग सामग्री के पैकिंग गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित विभिन्न प्रकार और आकार के कार्टन और दस्तावेज रिकॉर्ड के बारे में भी बताती हैं।

इकाई 2

पैकिंग प्रक्रिया

परिधान उद्योग हमेशा विभिन्न और आकर्षक पैकिंग की जरूरत दर्शाता रहा है। परिधानों के रीटेल सेक्शन की पैकिंग उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितना की यह इकाई मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के ग्राहक लेबल, धुलाई लेबल, टैग आदि के साथ परिधान पैकिंग के प्रकारों और पैकिंग के कार्यों का वर्णन करती हैं। इसमें वितरण केन्द्रों, शिपमेंट दस्तावेजों, पैकिंग सूची और संबंधित प्राधिकरण को रिपोर्ट करने वाली समस्याओं के बारे में भी बताया गया है।

इकाई 3

वर्तमान परिदृश्य में पैकिंग क्षेत्र का विकास और वृद्धि

इस इकाई में मूल वस्त्रों को तह और पैक करने की विधियों का वर्णन किया गया है। परिधान उद्योगों में पैकिंग द्वारा सामान की जाने वाली आम समस्याओं का वर्णन किया गया है, जो मुख्य रूप से एर्गोनॉमिक्स और कार्यस्थल से संबंधित है। इसमें स्थिरता और नैतिक पैकिंग की बढ़ती मांग और वैकल्पिक सामग्रियों को भी शामिल किया गया है, जिनका उपयोग धारणीय पैकिंग में किया जा सकता है।

इकाई 4

स्वच्छ और जोखिम मुक्त कार्यक्षेत्र बनाए रखें

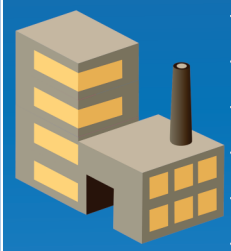

यहां छात्र स्वच्छ और जोखिम मुक्त कार्यस्थल के महत्व और प्रासंगिकता के बारे में जानेंगे। वे कर्मचारियों और आगंतुकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के बारे में भी जानेंगे। दुर्घटनावश गिरने से रोकने के लिए साफ सतहों, उपयुक्त जूते और चलने की उचित गति के महत्व व उनकी सुनिश्चितता के बारे में भी जानेंगे। सीढ़ियों और गलियारों की सफाई, सूखापन और दुर्घटनाओं को कम करने और एक सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के बारे में भी इस इकाई में चर्चा की जाएगी।

इकाई 5

कार्यस्थल पर स्वास्थ्य, बचाव और सुरक्षा

इस इकाई में छात्र स्वास्थ्य, बचाव और सुरक्षा के कार्यस्थल पर महत्व तथा उनके चिंतन तथा कर्मचारियों के बारे में जानेंगे। वे सुरक्षा से संबंधित जोखिम व आपात स्थितियों के बारे में भी पढ़ेंगे। छात्र इस इकाई में मशीन व उपकरणों में आने वाली खराबियों को समझने व उसकी रिपेरिंग के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा आपात स्थितियों की ठीक तरह सूचना प्रदान करने के बारे में भी जानेंगे।

इकाई 6

उद्योग और संगठनात्मक आवश्यकताएं:

इस इकाई में छात्र संस्थागत नियमों, अनुपालनों व उनमें लगने वाले विभिन्न दस्तावेजों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही वे ग्राहकों से संबंधित नियमों व इनकी जरूरतों के बारे में भी पढ़ेंगे। इस इकाई नैतिकी बाध्यताएं व उनसे संबंधित दस्तावेज तथा इन नियमों से विचलन के बारे में भी जानेंगे।

प्रशिक्षण पूरा करने के बाद रोजगार के अवसर इस प्रकार हैं:

स्व–रोजगार

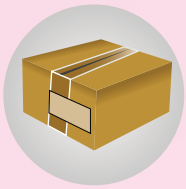

उत्पाद पैकिंग उद्यमी के रूप में फ्रीलासिंग

पैकजिंग इकाई या निर्माण इकाई का मालिक

वेतनिक रोजगार

- 01 वस्त्र पैकर
- 02 पैकिंग परीक्षक / परीक्षक
- 03 पैकिंग परीक्षक
- 04 प्रोडक्शन हैंड पैकर (मैनुअल पैकिंग)
- 05 उत्पाद पैकिंग सलाहकार

कोर्स पूरा करने के बाद पैकर के लिए विकास के अवसर निम्नानुसार हो सकते हैं:

1. फिनिशिंग और पैकिंग प्रबंधक
2. शिफ्ट लीडर
3. प्रशिक्षण के साथ गुणवत्ता नियंत्रण में कार्य करना या वितरण कार्य में आगे बढ़ना
4. पैकिंग आइटम बनाने के लिए खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करें।
5. एन.जी.ओ. और प्रशिक्षण केंद्रों के लिए काम करना।

नौकरी के प्रशिक्षण

- शासकीय एवं अशासकीय कुशल प्रशिक्षण केन्द्र
- सरकारी एवं निजी निर्यात / खरीद एजेंसियां
- ई–कॉमर्स संगठन में इंटर्नशिप

PSSCIVE के बारे में

पं.सुं.श. केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल

पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन (पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.) व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में एक शीर्ष अनुसंधान और विकास संगठन है। यह शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत [पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.)], भारत सरकार द्वारा 1993 में स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) की एक घटक इकाई है। यह भारत में यू.एन.ई.वी.ओ.सी. (तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय परियोजना) का नेटवर्क केंद्र भी है। संस्थान के पास विभिन्न विषयों के लिए बनाए गए विभागों के साथ 35–एकड़ में बना हुआ परिसर है। यहाँ पर कृषि और पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और पैरामेडिकल विज्ञान, गृह विज्ञान और आतिथ्य प्रबंधन और मानविकी विज्ञान, की शिक्षा और अनुसंधान का कार्य होता हैं।

संस्थान व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता–प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती हैं। संस्थान में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उच्च योग्य प्रशिक्षकों की टीम हैं, जो कि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक उत्कृष्ट पेशेवर कौशल और अनुभव रखते हैं।

संस्थान ने व्यावसायिक शिक्षा में तेजी से विकास के मार्ग को प्रशस्त किया है, उद्योग की बदलती जरूरतों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया और कई बार व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए है। पिछले 25 वर्षों में संस्थान के विकास ने विभिन्न चुनौतियों का सामना किया हैं, लेकिन ये नए क्षितिज का पता लगाने और स्थानीय और वैश्विक कैनवास पर लोगों की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रणनीतियों को फिर से तैयार करने की संभावनाओं एवं अवसरों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

विद्यया ऽ मृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

संयुक्त निदेशक
पं.सुं.श. केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान
श्यामला हिल्स, भोपाल – 462002, मध्यप्रदेश, भारत
फो.: +91 755 2660691 | फेक्स: +91 755 2927347, 2660580
ईमेल : jd@psscive.ac.in
www.psscive.ac.in | www.ncert2021.psscive.in